राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1614/2025

मनीषा मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उप आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (द्वितीय), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. शिप्रा शर्मा, जेईएन ब्लॉक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, चाकसू, जिला जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.01.2025
आदेश की दिनांक : 07.03.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राजीव भूषण बंसल, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ अभियंता के पद पर पंचायत समिति, सांगानेर, जिला जयपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पंचायत समिति, चाकसू, जिला जयपुर किया गया है। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 02.08.2022 के द्वारा अपीलार्थी को पंचायत समिति, चाकसू से पंचायत समिति, सागांनेर पदस्थापित किया गया था और अल्पावधि में ही अपीलार्थी का पुनः आलोच्य आदेश के द्वारा सांगोनर से चाकसू स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी के तीन वर्ष का बालक है और अपीलार्थी के

पति भी बस्सी में पदस्थापित है और ऐसी विषम परिस्थिति में भी अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है, जो स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम अधिकारी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा पंचायत समिति, सागांनेर से पंचायत समिति, चाकसू किया गया है। आदेश दिनांक 02.08.2022 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान पर किया गया था और लगभग तीन वर्ष पश्चात् अपीलार्थी का स्थानांतरण आलोच्य आदेश के द्वारा किया गया है तथा अपीलार्थी का स्थानांतरण जयपुर जिले के अंदर सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के नियम एवं विधि विरूद्धता परिलक्षित नहीं होती है। अतः हम आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। इस प्रकार अपील में कोई बल न होने के कारण खारिज फरमाये जाने योग्य है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के ग्राह्यता के प्रक्रम पर एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष